पर्यटन विभाग

संकल्प

विषयः– कतिपय शर्त्तों के अधीन मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाएं विकसित करने हेतु कृषि विभाग की मौजा– गाजीपुर, थाना सं0–191, जमाबंदी संख्या – 289 की 15 एकड़ 01 डिसमिल (पन्द्रह एकड़ शून्य एक डिसमिल) भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

बिहार पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्राचीन केन्द्र रहा है। राज्य में पर्यटन उद्योग की अपार संभावनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा देश–विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चालू की गयी हैं। मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर प्राचीन अंग जनपद के रूप में पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अतिमहत्वपूर्ण है। तारापुर, मुंगेर शिव परिपथ के मुख्य केन्द्रों में से एक है, जो काँवरिया पथ पर विद्यमान है। इस पथ पर प्रतिवर्ष विशेषकर श्रावण मास में लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण /काँवरिया सुल्तानगंज से देवघर जलाभिषेक हेतु पैदल यात्रा करते हैं। मुँगेर में ही विश्व प्रसिद्ध 'बिहार योग विद्यालय' अवस्थित है, जहाँ पर विश्व के कोने–कोने से विद्यार्थी योग की शिक्षा प्राप्त करने के लिये आते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त मुंगेर जिले में पर्यटकीय, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन हेतु आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक समेकित सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

2. उक्त संबंध में ईशा फाउण्डेशन, ईशा योग केन्द्र, वेल्लियांगिरी फुटहिल, कोयंबटूर, तमिलनाडु द्वारा एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार उक्त संस्था द्वारा राज्य में आदियोगी और योग केन्द्र की अन्य सुविधाओं की स्थापना तथा आदियोगी की प्रतिष्ठित प्रतिमा की प्रतिकृति की स्थापना हेतु 10–20 एकड़ भूमि के निःशुल्क आवंटन का अनुरोध किया गया है ताकि उक्त भूमि पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त समेकित सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल का निर्माण एवं प्रबंधन उनके द्वारा किया जा सके। उल्लेखनीय है कि ईशा फाउण्डेशन, ईशा योग केन्द्र, कोयंबटूर, तमिलनाडु द्वारा कई महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक गतिविधियाँ भी संचालित की जाती हैं। इस संस्थान द्वारा विभिन्न राज्यों में योग केन्द्र के साथ चिकित्सा संस्थान, निर्धन लोगों, वृद्ध व्यक्तियों के लिए आश्रय स्थलों के निर्माण का कार्य किया गया है।

3. उक्त आलोक में राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों से उक्त प्रयोजन हेतु उपयुक्त सरकारी भूमि को चिन्हित करते हुए प्रतिवेदन की माँग की गई। समाहर्ता, मुंगेर के ज्ञापांक– 187/रा0, दिनांक 24.01.2026 द्वारा मौजा– गाजीपुर, थाना सं0–191, जमाबंदी संख्या – 289 की 15 एकड़ 01 डिसमिल (पन्द्रह एकड़ शून्य एक डिसमिल) भूमि जो कृषि विभाग के स्वामित्व में है, को चिन्हित करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक– 1225 दिनांक 16.02.2026 द्वारा उक्त भूमि का समाहर्त्ता, मुंगेर को अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि उक्त भूमि के बदले समतुल्य कृषि योग्य भूमि कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। समाहर्त्ता, मुंगेर के पत्रांक– 955 दिनांक– 23.03.2026 द्वारा कृषि निदेशक, बिहार, पटना को प्रतिवेदित किया गया है कि मुंगेर जिला में समतुल्य कृषि योग्य भूमि नियम एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उपलब्ध करायी जायेगी।

4. निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय का वहन उपर्युक्त ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा। निर्माण के उपरांत उक्त स्थल का प्रबंधन भी उपर्युक्त ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। उक्त भूमि पर समेकित सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाओं के विकास से न केवल आस–पास के क्षेत्र

(6)

का विकास होगा बल्कि कांवरिया पथ के श्रद्धालुओं को सुविधाओं के साथ–साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। इस स्थल के विकास हेतु पर्यटन विभाग द्वारा ईशा फाउण्डेशन, ईशा योग केन्द्र, वेल्लियांगिरी फुटहिल, कोयंबटूर, तमिलनाडु के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) कर 1 रुपये के टोकन शुल्क पर लीज के माध्यम से 99 वर्ष के लिए उक्त भूमि हस्तान्तरित की जा सकेगी। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

5. **उपरोक्त शर्तों के अधीन मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाएं विकसित करने हेतु कृषि विभाग की मौजा– गाजीपुर, थाना सं0–191, जमाबंदी संख्या – 289 की 15 एकड़ 01 डिसमिल (पन्द्रह एकड़ शून्य एक डिसमिल) भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करने संबंधित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक – 22.04.2026 को सम्पन्न बैठक में मद् संख्या– 2 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।**

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– पर्य०यो०रा०– 03/2026 ...../प०वि०, पटना दिनांकः–.....
प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/स्थानिक आयुक्त कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– पर्य०यो०रा०– 03/2026 1257/प०वि०, पटना दिनांकः–22/04/2026
प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/ आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/ निदेशक, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि०/निदेशक, पर्यटन निदेशालय/ईशा फाउण्डेशन, ईशा योग केन्द्र, वेल्लियांगिरी फुटहिल, कोयंबटूर, तमिलनाडु /अवर सचिव, ई–गजट कोषांग/आई० टी० मैनेजर, पर्यटन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/4/26
सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।